



**उत्तराखण्ड** UTTARAKHAND  
सहाय्यक शिक्षिकारी दसकड़  
कोटा पाल, देहराजन  
सम्झौते:- मण्डलीय अधिकारी अवर शिक्षा निदेश बौद्धि

24 DEC 2009 द्विप्रयन एकैड्मी नेहराम देहराजन और गुरुनाल चूमेन्द्र उपदेशी  
पुत्र श्री एम.पी. छंडुरी देहराजन।

नियोजन किया है उपरौक्त शिक्षकता शिक्षयूक्तव्यन केरता है।

1. यहाँक शिक्षकता को नाम दे पता सही है।

2. यह कि यह विधालय राजसा तंत्र्या 64/1610 द्वि-3/07/01 ५/१/2007

मिर्क-26 जून 2007 में विधे गै निम्नलिखित प्रतिवेदन से उत्तराखण्ड के लिए प्राप्त करेगा।

क- उत्तराखण्ड में स्थित किसी तंत्र्याने को ग्रामिण फ़रादि द्विप्रयन  
के लिए सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन सैन्दूल बीई आए हैं इनके लिए तर्ह दिल्ली से  
सम्बद्धता प्राप्त करनेहैं उपर्युक्त लैनो बोर्ड द्वारा विभिन्न शर्तों/मानकों का  
अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

ख- विधालय की पंजीकृत सौचायटी का समय रेखा पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ग- विधालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।

ध- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुशूचित वर्ग/अनुशूचित जनजाति  
के मैधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा

परिषद्/बैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न क्षेत्रों के

लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

इन संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यह पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आप सेकेण्ड्री स्कूलेशनल नई दिल्ली कौसिल पार इण्डियन

सार्टिफिकेट एवं मिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।

घ- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षाप्रतिरक्षण के राज्यीय सदायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुग्रह भेत्रमानों तथा अन्य भत्तों से कम भेत्रमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगें।

छ- विधालय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लैण्ड पर्स बनायी जायेगी और इन्हें सदायता प्राप्त अंगीसकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयों के कर्मचारियों को अन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध करायेंगें।

ज- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी।

झ- विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रथम पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ठ- उक्त शर्तों में बिना शासनके पूर्वानुमोदन के लौट परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

दिनांक-29.12.2009

प्रधानकारी.....

DIRECTOR  
THE INDIAN ACADEMY  
DEHRADUN

This affidavit is sworn before me by

Shri...  
who is identified by Shri...  
at Dehradun on 29.12.2009.

Smt. Vijay Lakshmi Shukla  
Advocate & Notary, D.Dur